प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2024/ 7908 **लखनऊः दिनांकः** 24-10-2024

विषयः <u>सत्र 2024–25 में यू–राईज पोर्टल पर नए डी0फार्मा संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 से सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाली संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किये जाने विषयक।</u>

महोदय,

कृपया, आपके द्वारा यू–राईज पोर्टल पर अपलोड की गई सत्यापन रिपोर्ट एवं संस्तुति (Recommendation) के आधार पर आपके जनपद में स्थित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को सत्र 2024–25 में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 द्वारा NOC/Consent of affiliation निर्गत की गई है। NOC/Consent of affiliation प्राप्त करने वाली संस्थाओं द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सत्र 2024–25 से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अपना आवेदन दिया गया, जिसके क्रम में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने संस्थाओं को सत्र 2024–25 से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संः 2/2024/आई465018/2024/16–3099/156/2019, दिनांकः 05 जनवरी, 2024 के द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा/डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of Affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसके पैरा 15 में उल्लेख किया गया है कि

यू–राईज पोर्टल पर प्राप्त नए संस्थान खोलने संबंधी आवेदनों का नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये प्रोफार्मा पर संबंधित संस्थाओं का प्रत्येक जनपद में गठित निम्न समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जायेगाः–

(i) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी– अध्यक्ष

(ii) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रधानाचार्य एवं एच0ओ0डी0 स्तर के 01–01 अधिकारी, जो भिन्न–भिन्न विधा के हो अलग–अलग संस्थाओं में तैनात हो– सदस्य
(उक्त अधिकारियों को उनकी तैनाती जनपद से अन्यत्र जनपद की संस्थाओं का निरीक्षण किये जाने हेतु नामित किया जाएगा।)

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ के आदेशानुसार दिनांकः 30.11.2024 तक संस्थाओं की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार आपके जनपद में स्थित संस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधी कार्यवाही आप द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रधानाचार्य एवं एच0ओ0डी0 स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना है।

अतः निवेदन है कि अपने स्तर से जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी को अपने जनपद में स्थित संस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्याघन ससमय निष्पादित करने हेतु निर्देशित करना चाहें।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 द्वारा नामित अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गए निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ आप/आप द्वारा नामित स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन समिति के अध्यक्ष से शीघ्र ही सम्पर्क स्थापित करेंगे।

स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन की जाने वाली संस्थाओं का आवेदन/सूची यू–राईज पोर्टल पर उपलब्ध है। यू–राईज पोर्टल का लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्ववत् है।

संलग्नकः शासनादेश दिनांकः 05 जनवरी, 2024 की छायाप्रति।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/7909-12 तद्दिनांकः 24-10-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-2/2024/आई465018/2024/16-3099/156/2019

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2024**

विषयः-प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा/डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता(Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5955/16-प्रा0शि0-3-2011,दिनांक 12.01.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वारा नई डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को खोलने, नए पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने तथा प्रदत्त अनुमोदन को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रियान्वयन को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करते हुए ए0आई0सी0टी0ई की नई नीति/गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिग्री व डिप्लोमा सेक्टर में अभियंत्रण संस्थाओं में फार्मेसी से संबधित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व पी0सी0आई0 तथा ए0आई0सी0टी0ई0 की स्वीकृति की अनिवार्यता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3575/सोलह-1-2016-13(2)/2016, दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये गये। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या-13/2018/74/सोलह-3-2018-15(207)/2017, दिनांक 23.01.2018 द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए ए0आई0सी0टी0ई0 के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2018-19 में दी गई व्यवस्था तथा राज्य सरकार के परस्पेक्टिव प्लान के अनुसार डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को अनापत्ति निर्गत करने संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किया गए। उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2018 में डिग्री स्तरीय फार्मेसी संस्था में डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्था में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने संबंधी आवेदनों पर परस्पेक्टिव प्लान तथा शासनादेश संख्या-3575/सोलह-1-2016-13(2)/2016, दिनांक 26.09.2016 के प्राविधानों के अनुसार विचार किये जाने की व्यवस्था की गई।

3. सूच्य है कि ट्रान्सफर पिटीशन (सिविल) संख्या-87-101/2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2020 द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम से संबंधित डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया (पी0सी0आई0), नई दिल्ली की गाइडलाइन्स का पालन किये जाने आदेश दिये गये हैं, जिसके क्रम में प्रदेश में फार्मेसी पाठ्यक्रम संबंधी नये संस्थान खोलने आदि के संबंध में पी0सी0आई0 की गाइडलाइन्स का अनुपालन किया जा रहा है।

4. शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिये डी0फार्मा संस्थानों को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया (पी0सी0आई0), नई दिल्ली द्वारा पोर्टल खोल जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-261/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1, दिनांक 14.07.2022, शासनादेश संख्या-288/सोलह-3-2022-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16-3099/9/ 2022टीसी-1, दिनांक 08.08.2022 व शासनादेश संख्या-317/सोलह-3-2022-16-3099/9/ 2022टीसी-1, दिनांक 05.09.2022 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. उक्त के अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2098/सोलह-1-2022-13(01)/2018, दिनांक 21.09.2023 द्वारा डिग्री सेक्टर के नए तकनीकी संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश प्रख्यापित किये गये थे, जिन्हें शासनादेश संख्या-1733/सोलह-1-2023, दिनांक 30.06.2023 द्वारा अवक्रमित करते हुए डिग्री सेक्टर में सम्बद्धता प्रक्रिया निर्धारित करते हुए सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के व्यवहरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6. सूच्य है कि पी0सी0आई0 के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 की गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु Examining Authority की सम्बद्धता की सहमति एवं उत्तर प्रदेश शासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु Examining Authority प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ है तथा डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु Examining Authority ए0के0टी0यू0, लखनऊ है। इसी प्रकार AICTE द्वारा संचालित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु ए0के0टी0यू0, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है, जैसा कि AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 से 2026-27 से स्पष्ट है। उक्त के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन दिया जाना) विनियम-2016 के विनियम 4.2 एवं 4.18 के अनुसार नई तकनीकी संस्था को स्थापित करने आदि के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का अभिमत/दृष्टिकोण प्रेषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

7. विगत वर्षों में यह परिलक्षित हुआ है कि तकनीकी शिक्षा एवं फार्मेसी के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु नई संस्थायें खोलने, नया पाठ्यक्रम खोलने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि संबंधी NOC/Consent of affiliation /Affiliation प्रदान करने वियषक आवेदनों को निरस्त किये जाने के पश्चात् आवेदक संस्थाओं द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में याचिकायें योजित कर दी जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी किये जाने में अनावश्यक समय एवं धनराशि व्यय होती है। अतः प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिग्री एवं डिप्लोमा सेक्टर में तकनीकी शिक्षा एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालन हेतु नई संस्थायें खोलने, नया पाठ्यक्रम खोलने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि विषयक NOC/Consent of affiliation / Affiliation प्रदान किये जाने संबंधी आवेदनों पर विचार किये जाने हेतु एक पारदर्शी, शुचितापूर्ण, त्वरित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

8. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 यथा संशोधित तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमावली, 2000 व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन दिया जाना) विनियम-2016 के प्राविधानों एवं AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 से 2026-27 व पी0सी0आई0 के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2024-25 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत उपर्युक्त समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए डिग्री व डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा एवं फार्मेसी क्षेत्र की नई संस्थाओं को खोलने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

<u>डिप्लोमा स्तरीय नए तकनीकी संस्थान (डिप्लोमा इन फार्मेसी सहित) खोलने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि हेतु NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान किये जाने संबंधी प्रक्रिया</u>

(1) नियामक संस्थान के अद्यतन अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक में उल्लिखित गाइडलाइन के अनुसार डिप्लोमा सेक्टर हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान करने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी। भौतिक रुप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation निर्गत किया जायेगा।

(2) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी, द्वारा NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation हेतु पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज, बिल्डिंग प्लान एवं संकल्प पत्र (Resolution Letter) होना चाहिए।

(4) आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- रु0 के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किये जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा Consent of Affiliation निरस्त करने एवं मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी/ कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।"

(5) उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम-12(2) के प्राविधानानुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा स्क्रूटिनी समिति का गठन किया जायेगा। स्क्रूटिनी समिति यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की प्रत्येक कार्य दिवस में स्क्रूटिनी करेगी।

(6) आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारुप पर किये गये आवेदन में उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों की प्रारम्भिक स्क्रूटिनी के पश्चात् स्क्रूटिनी समिति आवेदन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर यूराईज पोर्टल पर अपलोड कर आवेदक संस्थाओं को यथास्थिति से सूचित किया जायेगा। अस्वीकार किये गये आवेदनों से संबंधित संस्था को संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(7) स्क्रूटिनी समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आवेदक संस्थाओं द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुक्रम अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन/संगत अभिलेखों आदि सहित अपना प्रत्यावेदन 03 दिवस में यूराईज पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करना होगा। पुनः आवेदन प्राप्त होने पर स्क्रूटनी समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण कर रिपोर्ट यूराईज पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके पश्चात् अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(8) स्क्रूटिनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक प्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिलाधिकारी जनपद के अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक आवेदक संस्था की भूमि एवं भवन नक्शा का सत्यापन कराकर सत्यापन रिपोर्ट सहित संस्तुति/असंस्तुति आनलाइन अपलोड करायेंगे।

(9) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई सत्यापन रिपोर्ट एवं संस्तुति के आलोक में पर्सपेक्टिव प्लान को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 31 मार्च, 2024 तक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से NOC/consent of affiliation आनलाइन निर्गत किया जायेगा तथा असंस्तुति किये

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गये आवेदनों के संबंध में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट अपलोड कर संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा।

(10) नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन एवं प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी तथा संस्थान क्लोजर के संबंध में NOC प्रदान करने के निमित्त जॉच की कार्यवाही आवश्यकता नहीं होगी। सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा ऐसे आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से NOC आनलाइन निर्गत की जायेगी।

(11)नियामक संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा (डी0फार्मा सहित) पाठ्यक्रम हेतु नये संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन एवं प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि के संबंध में विज्ञापन/अधिसूचना जारी करने पर आवेदक संस्थाओं द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त NOC/Consent of Affiliation के साथ अनुमोदन हेतु आवेदन किया जायेगा।

(12) जिन संस्थाओं को नियामक संस्था द्वाराअप्रूवल प्राप्त हो जाएगा उन संस्थाओं द्वारा नियमाक संस्था से अप्रूवल प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में यूराईज पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा नियत फीस का भुगतान करते हुए अप्रूवल पत्र सहित सम्बद्धता हेतु आनलाईन आवेदन किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद के स्तर पर गठित स्क्रूटिनी समिति यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की दैनिक स्क्रूटिनीकी जायेगी।

(13) आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारुप पर किये गये आवेदन में उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों की प्रारम्भिक स्क्रूटिनी के पश्चात् स्क्रूटिनी समिति आवेदन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर यूराईज पोर्टल पर अपलोड कर आवेदक संस्थाओं को यथास्थिति से सूचित किया जायेगा। अस्वीकार किये गये आवेदनों से संबंधित संस्था को संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(14) स्क्रूटिनी समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आवेदक संस्थाओं द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुक्रम अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन/संगत अभिलेखों आदि सहित अपना प्रत्यावेदन 03 दिवस में यूराईज पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करना होगा। पुनः आवेदन प्राप्त होने पर स्क्रूटनी समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण कर रिपोर्ट यूराईज पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके पश्चात् अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(15) यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त नए संस्थान खोलने संबंधी आवेदनों का नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये निर्धारित प्रोफार्मा पर संबंधित संस्थाओं का प्रत्येक जनपद में गठित निम्न समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जायेगाः-

(i) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी .....अध्यक्ष

(ii) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा नामित प्रधानाचार्य एवं एच0ओ0डी0 स्तर के 01-01 अधिकारी, जो भिन्न-भिन्न विधा के हो तथा अलग-अलग संस्थाओं में तैनात हो। .....सदस्य

(उक्त अधिकारियों को उनकी तैनाती जनपद से अन्यत्र जनपद की संस्थाओं का निरीक्षण किये जाने हेतु नामित किया जाएगा।)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) उक्त जनपदीय समिति द्वारा संबंधित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराते हुए निर्धारित प्रारुप पर आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति सहित यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। जनपदीय समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुए वीडियो पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।

(17) उक्त जनपदीय समिति द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 (1) के अंतर्गत गठित सम्बद्धता समिति के समक्ष समस्त संस्थाओं के प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्बद्धता समिति की बैठक पाक्षिक रुप से आयोजित कर अपनी संस्तुति/असंस्तुति सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् सम्बद्धता हेतु उपयुक्त पायी गई संस्थाओं को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल सिग्नेचर से सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(18) उक्त जनपदीय समिति द्वारा असंस्तुत की गयी संस्थाओं को अपनी कमियों को पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जायेगा। यू-राईज पोर्टल के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आख्या में उल्लिखित कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु आवेदक संस्थाओं को 03 दिवस में सूचित किया जायेगा एवं 10 दिवस का समय प्रदान करते हुए कमियों को पूर्ण कराते हुए आवश्यक सूचना/अभिलेखों सहित संशोधित आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदक से प्राप्त संशोधित आवेदन का जनपद स्तरीय समिति से पुनः स्थलीय निरीक्षण कराया जा सकेगा।

(19) पुनः स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् जनपदीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति/असंस्तुति पोर्टल पर अपलोड की जायेगी, जिसके क्रम में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बद्धता समिति के समक्ष समस्त संस्थाओं के प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित कर अपनी संस्तुति/असंस्तुति सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् सम्बद्धता हेतु उपयुक्त पायी गई संस्थाओं को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल सिग्नेचर से सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पुनः जाँच के पश्चात् असंस्तुत संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। असंस्तुति संस्थाओं को द्वारा सम्बद्धता हेतु पुनः प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर उस शैक्षिक सत्र में विचार नहीं किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई टाइमलाइन के अनुसार अंतिम तिथि तक पूर्ण करायी जायेगी।

<u>डिग्री स्तरीय नए तकनीकी संस्थान (बी0 फार्मेसी सहित) खोलने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि हेतु NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान किये जाने संबंधी प्रक्रिया</u>

(1) नियामक संस्थान के अद्यतन अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक में उल्लिखित गाइडलाइन के अनुसार डिग्री सेक्टर हेतु ए0के0टी0यू0, लखनऊ एवं शासन द्वारा NOC/Consent of Affiliation/Affiliation प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान करने की समस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी। भौतिक रुप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation निर्गत किया जायेगा।

(2) डिग्री स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा अपने पोर्टल पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी, द्वारा NOC/Consent of Affiliation/Affiliation हेतु पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज, बिल्डिंग प्लान एवं संकल्प पत्र (Resolution Letter)होना चाहिए।

(4) आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- रु0 के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किये जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो NOC/Consent of Affiliation निरस्त करने एवं मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी/ कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।"

(5) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के प्रारम्भिक स्क्रूटिनी हेतु कुलपति ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा स्क्रूटिनी समिति का गठन किया जाएगा , जिसके द्वारा पोर्टल पर प्राप्त समस्त आवेदनों में उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों की स्क्रूटनी की जायेगी तथा स्क्रूटनी के पश्चात् आवेदन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर आवेदक संस्थाओं को यथास्थिति से सूचित किया जायेगा। अस्वीकार किये गये आवेदनों से संबंधित संस्था को संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

(6) आवेदन को अस्वीकार करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आवेदक संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुक्रम अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन/संगत अभिलेखों आदि सहित अपना संशोधित प्रत्यावेदन 03 दिवस में पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करना होगा। पुनः आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन का परीक्षण कर स्वीकार/अस्वीकार करने संबंधी रिपोर्ट पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके पश्चात् अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(7) स्क्रूटिनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक प्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिलाधिकारी जनपद के अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक आवेदक संस्था की भूमि एवं भवन नक्शा का सत्यापन कराकर सत्यापन रिपोर्ट सहित संस्तुति/असंस्तुति आनलाइन अपलोड करायेंगे।

(8) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई सत्यापन रिपोर्ट एवं संस्तुति/असंस्तुति के आधार पर कुलपति, ए0के0टी0यू0 द्वारा पर्सपेक्टिव प्लान को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु दिनांक 10 मार्च, 2024 तक प्रेषित किया जायेगा। शासन स्तर पर दिनांक 20 मार्च, 2024 तक निर्णय लेते हुए कुलपति, ए0के0टी0यू0 को अग्रतर कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 के डिजिटल हस्ताक्षर से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक Consent of Affiliation आनलाइन निर्गत किया जायेगा तथा असंस्तुति किये गये आवेदनों के संबंध में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट अपलोड कर संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा।

(9) नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन एवं प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी तथा संस्थान क्लोजर के संबंध में NOC प्रदान करने के निमित्त जॉच की कार्यवाही आवश्यकता नहीं होगी।कुलपति ए0के0टी0यू0 द्वारा ऐसे आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु दिनांक 10 मार्च, 2024 तक प्रेषित किया जायेगा। शासन स्तर पर दिनांक 20 मार्च, 2024 तक निर्णय लेते हुए कुलपति, ए0के0टी0यू0 को अग्रतर कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 के डिजिटल हस्ताक्षर से दिनांक 31 मार्च,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2024 तक NOC आनलाइन निर्गत किया जायेगा तथा असंस्तुति किये गये आवेदनों के संबंध में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट अपलोड कर संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा।

(10) ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा पुरानी संचालित संस्थाओं द्वारा नया पाठ्यक्रम खोलने, नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी आदि हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने के लिए दिनांक 01 मार्च, 2024 से तथा नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से विश्वविद्यालय का पोर्टल http//affiliation.aktu.ac.in/ खोला जायेगा। नियामक संस्था (AICTE/PCI/CoA) द्वारा तकनीकी एवं बी०फार्मा/बी०आर्क आदि पाठ्यक्रम हेतु नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने,नाम परिवर्तन एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि तथा क्लोजर के संबंध मेंअप्रुवल प्रदान करने के पश्चात् अप्रूवल पत्र सहित 15 दिवस में संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के संबद्धता पोर्टल पर निर्धारित शुल्क के साथ आन लाइन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के प्रारम्भिक स्क्रूटिनी हेतु कुलपति ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा स्क्रूटिनी समिति का गठन किया जाएगा तथा स्क्रूटनी के पश्चात् आवेदन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर आवेदक संस्थाओं को यथास्थिति से सूचित किया जायेगा। अस्वीकार किये गये आवेदनों से संबंधित संस्था को संशोधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा। पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुक्रम अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन/संगत अभिलेखों आदि सहित अपना प्रत्यावेदन 03 दिवस में पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करना होगा। पुनः आवेदन प्राप्त होने पर स्क्रूटनी समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण कर रिपोर्ट पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके पश्चात् अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(12) पोर्टल पर प्राप्त नए संस्थान खोलने संबंधी आवेदनों का नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये गये निर्धारित प्रोफार्मा पर संबंधित संस्थाओं का प्रत्येक जनपद में गठित निम्न समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जायेगाः-

(i) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी .....अध्यक्ष

(ii) कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ द्वारा नामित प्रोफेसर स्तर से अनिम्न 02 सदस्य, जो भिन्न-भिन्न विधा के हो तथा अलग-अलग संस्थाओं में तैनात हो। .....सदस्य

(उक्त सदस्यों को उनकी तैनाती जनपद से अन्यत्र जनपद की संस्थाओं का निरीक्षण किये जाने हेतु नामित किया जाएगा।)

(13) उक्त जनपदीय समिति द्वारा संबंधित संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराते हुए निर्धारित प्रारुप पर आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति/असंस्तुति सहित पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। जनपदीय समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुए वीडियो पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।

(14) उक्त जनपदीय समिति द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स सहित प्रत्यावेदनों को कुलपति, ए0के0टी0यू0 द्वारा सम्बद्धता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों को अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत शासन के अनुमोदन हेतु 15 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जायेगा। शासन स्तर पर 15 दिवस के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्दर निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 के डिजिटल हस्ताक्षर से 15 दिवस के अन्दर Affiliation आनलाइन निर्गत किया जायेगा तथा असंस्तुति किये गये आवेदनों के संबंध में कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट अपलोड कर संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा।

(15) डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलॉम प्राविधिक विश्वविद्यालय विनियमावली, 2010 के नियम 06.07 में प्राविधानित व्यवस्था तथा AICTE Approval Process Hand Book 2024-25 के नियम 2.1 (a) में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबंधो के अनुसार यथा (i) NIRF के अष्टम संस्करण में सचीबद्ध संस्थानो (ii) QS World Ranking Asia-2024 में सूचीबद्ध संस्थानो (iii) ऐसे संस्थान जिनका अर्ह पाठ्यक्रमों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम को NBA Accreditation प्राप्त हो और जिनका वैधता 30 अप्रैल 2025 तक हो (iv) ऐसे संस्थान जिन्हें NAAC में 4.0 में से न्यूनतम 3.01 अंक प्राप्त हो, (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'स्वायत्ता दर्जा' अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वायत्ता प्राप्त संस्थान एवं (iv) ऐसे संस्थान जिनकी प्रवेश की स्थिति विगत 5 शैक्षणिक वर्षो में 80 प्रतिशत से ज्यादा हो, को 03 वर्ष की अवधि के लिये सम्बद्धता प्रदान किया जायेगा।

कृपया डिग्री व डिप्लोमा सेक्टर के संस्थानों को NOC/Consent of Affiliation/ Affiliation प्रदान किये जाने हेतु उक्त निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त यह निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लागू होगा और उसके आगे के लिए पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, माननीया कुलाधिपति।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उच्च शिक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0, नई दिल्ली ।
8. कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर/एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर।
9. कुल सचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ/ एच0बी0टी0यू0, कानपुर/एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
11. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in